न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 41/2024

1 अर्जुन पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम माचडा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती लक्ष्मी देवी (फौत)
1/1 बलरामसिंह पुत्र लालाराम
1/2 बीना पुत्री लालाराम
1/3 पुष्पा पुत्री लालाराम
1/4 निर्मला पुत्री लालाराम
समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम नींदड़ तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर राज.।
2 कंचन देवी पत्नी शंकरलाल
3 गिरधारी पुत्र भूरा
4 छीतर पुत्र भूरा
5 महिपाल पुत्र स्व तोफान
6 रोशन पुत्र तोफान
7 मदनलाल पुत्र नाथू
8 मन्नी देवी पत्नी नाथू
9 बबीता मीणा उर्फ बाबूडी पत्नी स्व. महेश कुमार
10 सूरज मीणा पुत्र स्व. महेश कुमार
11 राहुल मीणा पुत्र स्व. महेश कुमार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 शंकरलाल पुत्र हनुमान
13 सुगना देवी पत्नी अर्जुनलाल
14 सोनी पत्नी सांवता (मृतक)
15 जगदीश पुत्र सांवता
समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम मांवडा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.
16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
17 उप पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय दिनांक 29.09.2023 जिसके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 उनवानी प्रकरण लक्ष्मी देवी बनाम अर्जुन व अन्य में पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद कुमार मोदी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सागरमल ढ़ाका, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

-निर्णय-

दिनांकः- 26.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण जिला जयपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 47/2022 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 115/1184, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 186 वाके ग्राम माचडा पटवार हल्का हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा अपने वाद पत्र में राजस्व रिकार्ड एवं जमाबंदी में वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया था माननीय विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व रूप से अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 29.09.2023 को प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित एक पूर्ववर्ती दावा जिसका उनवान अर्जुन बनाम शंकर जिसका मु.नं. 37/2022 का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें भी आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.11.2023 नियत है तथा उक्त दोनों प्रकरणों में तारीख पेशी एक साथ नियत की जाती है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है की पूर्ववर्ती दावा जब विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित हो तो पश्चावर्ती दावे की प्रोसिडिग स्टे की जानी चाहिए तथा पूव्रवती दावा लम्बित होने का तथ्य पत्रालवी पर मौजूद होते हुये भी विधि विरूद्व रूप से प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री जारी करने में भयंकर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विवादग्रस्त भूमि में हिस्सा निहित है तथा उसी के अनुसार अपीलार्थी अपने हिस्से की भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहा है तथा यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि जब न्यायालय द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 स्वीकार किया जाकर पत्रावली कायम मुकाम की तलबी हेतु नियत थी तो उक्त पत्रावली में प्रारम्भिक डिक्री की बहस सुनने का तथ्य आपने आप में ही असत्य व मिथ्या है। वाद में आदेशिका पर दिनांक 22.08.2023 को न्यायालय ने स्वयं यह लिखा गया की प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 के नोटिस दावे की पत्रावली मे मौजूद नहीं है उसके पश्चात ही मनमाने रूप से प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6, 9 व 10 के तामीलशुदा नोटिस उक्त पत्रावली में मौजूद नहीं होने का तथ्य विचारण न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में स्वीकार किया है उसके पश्चात भी इतने लम्बे समय बाद प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6, 9 व 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जबकि प्रतिवादी संख्या 9 की मृत्यु पूर्व में हो गयी थी जिसकी सूचना आदेशिका में दर्ज है उसके पश्चात भी विधि विरूद्ध रूप से प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री जारी करने में भयंकर कानूनी भूल की है। प्रकरण में ना तो प्रतिवादीगण की तामील करवायी गयी और नाही जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किया गया तथा मनमाने रूप से ही अपीलार्थी को सुने बिना ही व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जवाब बंद कर विधि विरूद्ध रूप से प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री जारी करने में भयंकर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट के अधिवक्ता ने हस्ताक्षर है। बावजूद तामील प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। मृत पक्षकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के कायम मुकाम को स्वीकार कर विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट के पास आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट के अधिवक्ता ने हस्ताक्षर है। बावजूद तामील प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। मृत पक्षकार के कायम मुकाम को स्वीकार कर विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट के पास आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धोलिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर